



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 856 वर्ष 2026

श्रीमती बीना तथा 29 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 9 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता	:	धर्म वीर जायसवाल, हर्ष विक्रम
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	अरुण कुमार पांडेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.सी. वर्मा एवं श्री हर्ष विक्रम, राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद तथा भूमि प्रबंधन समिति के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडेय को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित राहतों हेतु दाखिल की गई है :

“(I) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी राजस्व प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 4631/2025, श्रीमती बीना एवं अन्य बनाम मुकीम एवं अन्य, जो कि प्रत्यर्थी संख्या 2, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है, के दौरान याचिकाकर्तागण को आवंटित भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल की खेती एवं कटाई/उत्पादन की अनुमति प्रदान करें।

(II) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा दिनांक 11.09.2025 को अपर आयुक्त, प्रथम, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश के प्रभाव एवं प्रवर्तन को, उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 4631/2025 के लंबित रहने के दौरान, स्थगित किया जाए।”

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वाद को गत दिवस सूचीबद्ध किया गया था तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को विवादित भूखण्ड पर कब्जे तथा खड़ी फसल की स्थिति के संबंध में निर्देश प्राप्त करने हेतु आज के लिए स्थगित किया गया था।

4. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, टांडा, जनपद रामपुर द्वारा प्रेषित निर्देश अभिलेख पर ग्रहण किए जाते हैं।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड के आवंटन हेतु दिनांक 30.11.2016 को प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि उक्त प्रस्ताव को उपजिलाधिकारी द्वारा दिनांक 15.05.2017 को अनुमोदित किया गया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उपजिलाधिकारी के अनुमोदन दिनांक 15.05.2017 के अनुपालन में याचिकाकर्तागण को कब्जा प्रदान कर दिया गया, जिसके पश्चात याचिकाकर्तागण/आवंटितधारकों ने उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि कुछ व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिनांक 03.10.2023 के आदेश द्वारा निरस्त करते हुए शिकायत/निरस्तीकरण प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 30.11.2016/15.05.2017 की पट्टा को यथावत् रखा गया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण दायर किया गया, जिसे आयुक्त, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 11.09.2025 के आदेश से स्वीकृत करते हुए याचिकाकर्तागण के पक्ष में निष्पादित पट्टा को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आयुक्त के आदेश दिनांक 11.09.2025 के विरुद्ध याचिकाकर्तागण द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा यथास्थिति बनाए रखने हेतु अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर याचिकाकर्तागण को विवादित भूखण्ड पर कृषि करने से रोका जा रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है तथा आयुक्त द्वारा आवंटन निरस्त किया जा चुका है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड पर अभी भी गन्ने की फसल खड़ी है, अतः प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्तागण को कृषि कार्य से रोका जाना विधिसम्मत नहीं है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः प्रार्थना की गई कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लंबित पुनरीक्षण का विधि के अनुसार शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए तथा प्राधिकारियों को याचिकाकर्तागण के कब्जे एवं कृषि कार्य में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

6. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कुल 15 भूखण्डों में से केवल दो भूखण्डों, अर्थात् भूखण्ड संख्या 93 एवं 800, पर गन्ने की फसल खड़ी है, जबकि शेष भूखण्ड मौके पर रिक्त हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड पर ग्राम सभा का कब्जा है तथा प्राधिकारीगण बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यथास्थिति आदेश का पालन कर रहे हैं। अतः किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

8. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्तागण को दिनांक 30.11.2016 को पट्टा प्रदान किया गया, जिसे दिनांक 15.05.2017 को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्विवाद है कि उपजिलाधिकारी द्वारा निजी प्रत्यर्थीगण की निरस्तीकरण कार्यवाही को अस्वीकृत किया गया, किन्तु पुनरीक्षण में आयुक्त द्वारा दिनांक 11.09.2025 के आदेश से आवंटन निरस्त कर दिया गया। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्तागण द्वारा दायर पुनरीक्षण को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा स्वीकार करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है।

9. यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्तागण के पक्ष में दिनांक 30.11.2016/15.05.2017 को पट्टा निष्पादित हुआ तथा उसके अनुपालन में कब्जा भी प्रदान किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टा प्रथम बार पुनरीक्षण में आयुक्त द्वारा दिनांक 11.09.2025 को निरस्त किया गया, जिसके विरुद्ध समयावधि के भीतर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया गया, जिसमें अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अतः यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से याचिकाकर्तागण से कब्जा वापस ले लिया गया है।

10. उपजिलाधिकारी द्वारा प्रेषित निर्देश से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ भूखण्डों पर याचिकाकर्तागण की गन्ने की फसल खड़ी है, अतः राज्य प्राधिकारी याचिकाकर्तागण को उस भूखण्ड पर कृषि करने से नहीं रोक सकते, जो दिनांक 30.11.2016/15.05.2017 को उनके पक्ष में आवंटित किया गया था तथा जो वर्तमान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष लंबित पुनरीक्षण का विषय है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, पुनरीक्षण संख्या 4631/2025 का विधि के अनुसार, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अभिलेखित आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से यथाशीघ्र, अधिमानतः चार माह की अवधि के भीतर निस्तारण करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकारीगण याचिकाकर्तागण के उस कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो उन्हें दिनांक 30.11.2016/15.05.2017 के आवंटन के आधार पर प्राप्त हुआ है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष पुनरीक्षण के लंबित रहने तक याचिकाकर्तागण विवादित भूखण्ड पर कृषि कार्य करते रहेंगे।

दिनांक : 26 फरवरी, 2026

सी. प्रकाश

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।